सत्यमेव जयते

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

मुख्यालय : 15 -A अभिषेक पुरम, जानकी पुरम विस्तार, लखनऊ (उ0प्र0) - 226021

(राजाज्ञा सं0 1083/7-137, 17/27-1928 तथा संख्या 99/7139, दिनांक 22 जनवरी 1931 द्वारा मान्यता प्राप्त)

डॉ0 नृपेन्द्र सिंह
प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्षीय कार्यालय: जनपद न्यायालय, बदायूँ
9412462719, 9259049509

संदीप चौहान
संरक्षक
9451239147
dnksup1931@gmail.com

नरेन्द्र विक्रम सिंह
प्रदेश महासचिव
महासचिव कार्यालय: जनपद न्यायालय, श्रावस्ती
9415572022, 7398372302

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
अभिषेक सिंह (इलाहाबाद)

उपाध्यक्ष
हरि शंकर श्रीवास्तव (लखीमपुर)
सैय्यद मोहम्मद ताहा (बाराबंकी)
विवेक दत्त उपाध्याय (फर्रूखाबाद)

उपाध्यक्ष (मनोनीत)
अमरेश चन्द दुबे (मिर्जापुर)
जय शंकर त्रिवेदी (बाराबंकी)
संजीव विश्वकर्मा (गौतमबुद्धनगर)
प्रतिभा तोमर (हापुड़)
विवेक त्रिपाठी (चन्दौली)
धीरेन्द्र सिंह (कानपुर देहात)
अवनीश श्रीवास्तव (इलाहाबाद)

संयुक्त सचिव
अनिल कुमार श्रीवास्तव (अम्बेडकरनगर)
प्रिय रंजन किशोर (बागपत)
प्रेम नारायण (सीतापुर)
संदीप कुमार यादव (सहारनपुर)

संयुक्त सचिव (मनोनीत)
भागवत शुक्ल (बस्ती)

संगठन सचिव
देवराज सिंह (अलीगढ़)
अवधेश खरे (ललितपुर)
सुधीर कुमार श्रीवास्तव (श्रावस्ती)
सुधीर कुमार विश्नोई (बिजनौर)

संगठन सचिव (मनोनीत)
अजय गर्ग (मुजफ्फरनगर)

कोषाध्यक्ष
नीरज श्रीवास्तव (लखनऊ)

सांस्कृतिक सचिव
रतन कुमार श्रीवास्तव (इलाहाबाद)

पत्रांक : 61/2021 दिनांक : 29-07-2021

सेवा में,

पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी,

मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

विषय : माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई सेवा नियमावली की शासन स्तरीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सम्माननीय महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा The Uttar Pradesh Regularization of Class III and Class IV Employees of Erstwhile Fast Track/Cadre Court Rule 2019 पूर्व गठित एफ०टी०सी० और एक्स कैडर न्यायालयों पर नियुक्त कर्मचारीगण के नियमतीकरण हेतु सम्यक विचारोपरान्त तैयार कर शासन स्तरीय स्वीकृति हेतु उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित की गई है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस नियमावली से आच्छादित कर्मचारीगण विगत कई वर्षों से नियमित पदों पर नियुक्त हैं और न्यायालयी कार्यों का संपादन कर रहे हैं, इस नियमावली की स्वीकृति से किसी भी अतिरिक्त पद को सृजित नही करना पड़ेगा और न ही शासन पर कोई भी अतिरिक्त व्यय भार आएगा।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर शासन द्वारा उठाए गए प्रश्नों को पूर्व में दो बार निस्तारित करते हुए नियमावली आवश्यक स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित की गई है।

अतः इस सम्बन्ध में आपसे विनम्र अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई The Uttar Pradesh Regularization of Class III and Class IV Employees of Erstwhile Fast Track /Ex Cadre Court Rule 2019 की शासन स्तरीय स्वीकृति हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने की कृपा करें तथा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु संघ के प्रतिनिधिमंडल को समय भी प्रदान करने की कृपा करें।

संघ आपका आभारी रहेगा !

सादर !

भवदीय

(नरेन्द्र विक्रम सिंह)
प्रान्तीय महासचिव
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उ०प्र०

प्रतिलिपि :-

1- माननीय बृजेश पाठक जी, विधि एवं न्याय मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु अपने अधीनस्थ को निर्देशित करने कृपा करें।